

परिवहन ऋण योजना

इस योजना के तहत विभिन्न रा-ट्रीय एजेन्सियों के द्वारा लाभार्थियों की मांग के आधार पर परियोजना लागत के अनुसार टर्म लोन दिया जाता है। परिवहन योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा दिल्ली में निवास करने वाले लक्षित समूह के व्यक्तियों को हल्का व्यवसायिक वाहन (एलएमवी) क्रय करने हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत या भुगतान निगम की ऋण स्वीकृति पूर्व एवं ऋण स्वीकृति पश्चात की औपचारिकता पूर्ण होने के उपरान्त किया जाता है। योजना के अन्तर्गत निम्न वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है;

लक्षित समूह

1. अनुसूचित जाति
2. अन्य पिछड़ा वर्ग
3. अल्पसंख्यक समुदाय
4. सफाई कर्मचारी वर्ग

पात्रता

- i) आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास दिल्ली का राशन कार्ड एवं चुनाव पहचान पत्र।
- ii) आधार कार्ड अनिवार्य है।
- iii) आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- iv) आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय अजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग में 1,20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग में जो उच्च वर्ग के लाभार्थी हैं, उनकी आय सीमा वार्षिक 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी वर्ग में कोई आय सीमा नहीं है।
- v) आवेदक के पास वैद्य व्यवसायिक लाईसेंस (एलएमवी) एवं बैज होना चाहिए।
- vi) आवेदक इस निगम/रा-ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान एवं को-ऑपरेटिव बैंक की किसी भी योजना में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

(क) ऋण स्वीकृति पूर्व/आवेदन पत्र के साथ

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
2. आवेदक की 05 पासपोर्ट साईज फोटो ।
3. आवेदक के चुनाव पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड की प्रति ।
4. आयु प्रमाण पत्र की प्रति (18 से 45 वर्ष के बीच हो)
5. वैद्य व्यवसायिक लाईसेंस (एलएमवी) एवं बैज की प्रति ।
6. अजा/अपिव/अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
7. इस आशय का शपथ पत्र कि लाभार्थी ने किसी रा-ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान इत्यादि से ऋण ना लिया हो ।
8. वाहन की कुटेशन ।
9. 350/- रूपये प्रक्रिया शुल्क हेतु डीएसएफडीसी के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट ।
10. व्यक्तिगत गारन्टी का शपथ पत्र ।
11. आवेदक के विधि वारिस का शपथ पत्र ।
12. विधि वारिस के पहचान पत्र की प्रति फोटो के साथ ।
13. अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र । अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत शपथ पत्र । रा-ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में निम्न आवेदक योग्य होंगे ;
 - सिर पर मैला ढोने में कार्यरत योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति/ सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति एवं उनके आश्रित ।
 - विभिन्न रजिस्टर्ड कॉ-आपरेटिव सोसायटी ऑफ सफाई कर्मचारी ।
 - विधि रूप से बनाई गयी संस्था/फर्म जो इस वर्ग से संबंधित हो ।वह व्यक्ति जो स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें/स्थानीय निगम अधिकारी/छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु पालन विभाग) जो कि राजपत्रित अधिकारी हो, चुने हुए निगम पार्-द, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्रीय रूरल बैंक/रा-ट्रीयकृत बैंक) इसके अतिरिक्त सिर पर मैला ढोने की योजना के एक्ट 2013 के अन्तर्गत किये गए सर्वे में जिस व्यक्ति का चयन किया गया हो, जिसकी सूची राज्य सरकार /केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार की हो, को कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा । (www.mssurvey.nic.in)
14. आवेदन पत्र इस निगम कार्यालय की तीनों शाखा कार्यालय (राजपुर रोड़, मंगोलपुरी, नन्द नगरी) तथा मुख्य कार्यालय (रोहिणी) में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(ख) ऋण स्वीकृति पश्चात की औपचारिकताएं

1. गारन्टर की 04 पासपोर्ट साईज फोटो ।
2. गारन्टर की अंडरटेकिंग/विवरण ।
3. गारन्टर की वर्तमान मूल वेतन पर्ची ।
4. गारन्टर के कार्यालय पहचान पत्र की प्रति ।
5. गारन्टर के राशन कार्ड/चुनाव पहचान पत्र/आधार कार्ड की प्रति ।
6. गारन्टर का आयु प्रमाण पत्र की प्रति ।
7. गारन्टर का शपथ पत्र ।
8. गारन्टर के पॉच पोस्टडेडिड चैक ।
9. एक स्थायी गारण्टर जो सरकारी/पीएसयू/अर्द्ध-सरकारी/स्थानीय निकाय में दिल्ली एवं रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत हो तथा जिसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 वर्न शे-न हो क्योंकि यदि लाभार्थी द्वारा किस्त समय पर जमा ना कराई जाए तो उसकी पूर्ति की जा सके । यदि कॉलेट्रल सिक्योरिटी की जाती है तो अचल सम्पति के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ या स्वीकृत ऋण के 75 % की फेस वेल्थू के अनुसार एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा डीएसएफडीसी के नाम लियन पत्र के साथ ।
10. निर्धारित प्रारूप में ईसीएस फार्म ।
11. दो स्थानीय गवाह जो अपने पहचान पत्र के साथ डीड हस्ताक्षर के समय उपस्थित होंगे ।
12. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की बीमा प्रति ।
13. आवेदक, जमानती, दो गवाहों, शाखा प्रभारी तथा संबंधित लिपिक सहित सामूहिक फोटोग्राफ ।

वसूली

ऋण का भुगतान 60 मासिक किस्तों (5 वर्न) में करना होगा जिसमें 6 माह का विलम्ब काल दिया जाएगा ।

Transport Loan Scheme

Under this Scheme, different National Apex Corporations provide term loan to this Corporation as a part of the total project cost/loan demanded by the aspirant applicants/beneficiaries on case to case basis. The Corporation has been implementing Transport Loan Scheme under LMV category (upto the maximum loan limit of Rs.5.00 lakhs) for the target groups who are residents of Delhi. The loan under the scheme is sanctioned/disbursed subject to completion of pre and post sanction formalities by the applicants. The objective of the scheme is to promote self-employment among beneficiaries of the target groups.

Target Groups :

- a) Scheduled Castes
- b) Other Backward Classes
- c) Minorities
- d) Safai Karamcharis

Eligibility Criteria :

- i. The applicant should be a permanent resident of Delhi and must possess copy of Ration Card/Voter I Card.
- ii. Aadhaar Card is mandatorily required.
- iii. The applicant's age should be between 18-45 years.
- iv. The annual family income of the applicants (under SC, OBC & Minority category) from all sources should not exceed Rs.1,20,000/- per annum. However for creamy layer of Minority category the maximum income ceiling is Rs.6.00 lacs per annum. Whereas there is no income limit prescribed under the Safai Karamchari category.
- v. Bonafide valid commercial driving licence & badge required (LMV)
- vi. The applicant should have not been declared as defaulter under any scheme of DSFDC, Nationalized Bank, Financial Institution or Co-operative Bank etc.

Documents required :

(A) Pre-Sanction/with Application

- 1. Loan application form duly filled & signed.
- 2. 05 Passport Size Photographs of the applicant.
- 3. Copy of Voter ID/Aadhar Card/Ration Card.
- 4. Copy of Age Proof (age should be 18 to 45 years).
- 5. Copy of the Commercial Licence and Badge (LMV).
- 6. Income Certificate issued by SDM of area concerned in respect of SC/OBC & Minorities.
- 7. Affidavit declaring not availed any loan from any Bank/Financial Institute etc.

8. Quotation of the Vehicle
9. Processing Fee of Rs.350/- in favour of DSFDC.
10. Affidavit for personal guarantee.
11. Affidavit of legal heir of applicant.
12. Copy of Legal heir's ID and one passport size latest photograph.
13. Caste Certificate is required to be submitted for SC/OBC category issued by the concerned area SDM. For Minority category an affidavit indicating the caste/religion is required. However for Safai Karamchari category the following persons are consider eligible for availing financial assistance under the various schemes of NSKFDC :
 - Scavengers/Safai Karamcharis and their dependants duly identified under the National scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS) through a survey.
 - Registered co-operative societies of Safai Karamcharis.
 - Legally constituted association/firm promoted by the target groups
 - Persons who produce a certificate from local Revenue Officer/local Municipal Officer/Cantonment Executive Officer/Railway Officer, Head of the Govt. Departments (i.e. Schools, Colleges, Forest, Health, Education, Animal Husbandry) having rank not less than Gazetted Officer, Elected Members of Municipal Body, Pradhan of Gram Panchayats and Regional Managers of Regional Rural Banks (RRBs)/Nationalized Banks. However under the Ms Act, 2013, a person identified as Manual Scavenger in a survey need not to provide any certificate once his/her name appeared in the final list of Manual Scavengers prepared by State Govt/Union Territory Administration (www.mssurvey.nic.in)
14. Forms are available in the Head Quarter (Rohini) as well as Branch Offices (Raj Pur Road, Nand Nagari & Mangol Puri) of the Corporation. However, the same can be downloaded from the official website of the Corporation i.e. (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doi_t_dsfdc/DSFDC/Home/)

(B) Post-Sanction of loan:

1. ***Guarantor(s) passport size photo (04).***
2. ***Guarantor(s) Undertaking/Details.***
3. ***Latest Pay Slip of guarantor(s).***
4. ***Copy of Office I-Card.***

5. *Copy of Ration Card/Voter ID/Aadhar Card of Guarantor(s).*
6. *Copy of guarantor(s) age proof*
7. *Guarantor(s) Affidavit*
8. *05 PDCs of Guarantor(s) (in case of loan above 2.00 lakh).*
9. *ECS mandate form duly filled in the prescribed format.*
10. *I.D. proofs of two local witnesses along-with their physical presence at the time of signing of Deeds.*
11. *Copies of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) to be submitted by the applicant.*
12. *Group photographs with applicant, guarantor(s), Witnesses and Scheme In-charge & Dealing Asstt.*

Recoveries :

Loan is recovered in 60 monthly installments over a period of five years with six months as moratorium period.

.....